मुक्ति कारवां-प्रेस रीलिज-05 अक्टूबर,2018

बाल दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) के खिलाफ देशव्यापी 'मुक्ति कारवां'अभियान को अब बिहार में मिली हरी झंडी

· झारखंड में सफलता के बाद अभियान को पटना में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी ने अपने आवास से किया रवाना

· अधिकांश पीड़ित बच्चे राज्य के पटना, गया, नालंदा, नवादा, पूर्वी और पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी,दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर,मधेपुरा, सुपौल और किशनगंज जिलों से आते हैं

पटना, 05 अक्टूबर, 2018। झारखंड में भारी सफलता के बाद दुनिया के तीसरे सबसे बड़े संगठित अपराध बाल दुर्व्यापार के खिलाफ 'मुक्ति

कारवां' अभियान को गुरुवार को राज्य की राजधानी पटना में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी ने अपने आवास पर झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार चैप्टर के इस शुभारंभ कार्यक्रम में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग(एससीपीसीआर) के अध्यक्ष डॉ. हरपाल कौर, बिहार विधान परिषद् के सदस्य और राज्य बाल श्रम आयोग के पूर्व अध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और बिहार'बचपन बचाओ आंदोलन' (बीबीए) के समन्वयक मोहम्मद मुख्तारुल हक सहित कई गणमान्यों की मौजूदगी देखी गई।

बेगूसराय में 6 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस अभियान में राज्य सरकार,न्यायपालिका, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सिविल सोसायटी संगठन,श्रम विभाग, गैर सरकारी संगठन और बिहार के आम लोगों की सहभागिता है।

इस अवसर पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी ने बोलते हुए बिहार के उन 34 बच्चों का हवाला दिया जिनका हाल ही में लुधियाना के लिए दुर्व्यापार किया गया था। मामले को गंभीर बताते हुए उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा संवेदनशील मामला है जिस पर लोगों को तत्काल जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'दुर्व्यापार के इस रैकेट में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को सबसे ज्यादा धकेला जा रहा है। यौन शोषण के साथ ही उनका घरेलू नौकरानी के रूप में भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मासूम लड़कों को ज्यादातर राज्य के बाहर चूड़ी और कालीन उद्योगों के मालिकों को बेचा जाता है और उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जाती है।'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, 'बच्चे ज्यादातर प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से गायब कराए जाते हैं और उन्हें अन्य बड़े शहरों- दिल्ली, पंजाब,हरियाणा, मुंबई और कोलकाता ले जाया जाता है, जहां उनसे वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी और घरेलू नौकर-नौकरानियों के रूप में

मजदूरी कराई जाती है। बिहार के ये अधिकांश पीड़ित बच्चे पटना, गया,नालंदा, नवादा, पूर्वी और पश्चिम चंपारण,सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर,मधेपुरा, सुपौल और किशनगंज से आते हैं।'

इस अवसर पर राज्य बीबीए के समन्वयक मोहम्मद मुख्तारुल हक ने कहा कि मुक्ति कारवां का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बाल दुर्व्यापार जैसे संगठित अपराध को कैसे रोका जाए और उसके रोक के क्या-क्या उपाय हैं। उन्होंने कहा कि'कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन'(केएससीएफ) लोगों से पुलिस में बाल दुर्व्यापार और यौन शोषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की अपील करता है और साथ ही मीडिया से आग्रह करता है कि दुर्व्यापार से मुक्त कराए गए बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए उनके पुनर्वास में मदद करें।

बेगूसराय के बाद मुक्ति कारवां का यह अभियान बाल दुर्व्यापार से ग्रस्त बिहार के अन्य सीमावर्ती जिलों में जन-जागरुकता लाने के काम में जुटेगा। राज्य के सीमावर्ती जिले बाल दुर्व्यापार के लिए सबसे अधिक संवेदनशील माने जाते हैं।

मुक्ति कारवां

'मुक्ति कारवां' एक सचल दस्ता है जो गांव-गांव में घूमकर बाल दुर्व्यापार बाल मजदूरी और यौन शोषण जैसी बुराइयों के खिलाफ जन जागरुकता फैलाने का काम करता है। इस दस्ते में करीब 10 से 15 नौजवान होते हैं। ये नौजवान नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन, जन जागरण की छोटी-छोटी बैठकों और सभाओं के जरिए बच्चों की खरीद-फरोख्त के कारोबार,बच्चों के यौन शोषण, उसे रोकने के उपाय और कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। मुक्ति कारवां 1997 से शुरू होकर बाल दुर्व्यापार बहुल राज्यों में भ्रमण करते हुए अब तक 4 लाख से अधिक

किलोमीटर की यात्रा तय कर लाखों लोगों को बाल दुर्व्यापार के खिलाफ जागरूक कर चुका है।

कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन

नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित श्री कैलाश सत्यार्थी द्वारा स्थापित 'कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन' बच्चों के शोषण के खिलाफ हिंसा की रोकथाम के लिए काम करने वाला एक वैश्विक संगठन है। केएससीएफ अपने कार्यक्रमों, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, अनुसंधान, क्षमता निर्माण, जन-जागरुकता और व्यवहार परिवर्तन के जरिए बाल मित्र दुनिया के निर्माण की ओर सतत अग्रसर एक संगठन है। श्री सत्यार्थी के कार्यों और अनुभवों ने हजारों बच्चों और युवाओं को बाल मित्र दुनिया के निर्माण के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। उनके कार्यों और अनुभवों से सरकारों, व्यावसायिक जगत, समुदायों के बीच भागीदारी निर्माण, प्रभावी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानून सुनिश्चित करने और प्रमुख हितधारकों के साथ सफल प्रणालियों पर अमल करने और उसमें भागीदारी करने की दिशा में एक नई राह मिली है।